न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 421/2018

सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. पार्वती देवी पत्नी श्री परसराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्रागपुरा, तहसील–आमेर, जिला जयपुर। (मृतक)
   - 1/1. गोविंदी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम बांसा, बाग के पास, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   - 1/2. आनन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री उत्तम प्रकाश, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम चीथवाडी, हाल निवासी–ग्राम बांसा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   - 1/3. नन्दू देवी पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम बांसा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   - 1/4. धापा देवी पत्नी श्री रामलाल शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम चीथवाडी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   - 1/5. मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री परसाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्रागपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 1/6. पप्पूलाल शर्मा पुत्र श्री परसाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्रागपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 1/7. लालाराम शर्मा पुत्र श्री परसाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्रागपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 1/8. मुकेश कुमार पुत्र श्री परसाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–प्रागपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 1/9. ममता देवी पत्नी श्री महेश शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–बूरथल (प्रेमनगर), तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितिः–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
2. श्री भौरीलाल शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1/1 लगा0 1/9 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 1/2 व 1/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांकः 09.03.2022

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2010–23 ग्राम प्रागपुरा की भूमि ख0नं0 133, 118 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा भूमि का अंकन माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के नाम से दर्ज थी। जिसके वर्तमान मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार नवीन ख0नं0 277, 299 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में क्रेता अप्रार्थी पार्वती देवी के नाम से अंकित है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर की भूमि का नाम विलोप्ति करते हुए सीधे ही नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा के नाम अंकित कर दी गई। माफी

मंदिर की स्थिति कानून शास्वत अवयस्क होती है। अवयस्क के हितों का इस प्रकार हस्तान्तरण नही किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा भूमिधारी की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया, परन्तु अप्रार्थी सं0 1/2 व 1/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मिलान क्षेत्रफल ग्राम प्रागपुरा के हाल ख0नं0 के सापिक ख0नं0 133, 118 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 की कॉलम सं0 3 में माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी का नाम अंकित है तथा कॉलम सं0 4 में खातेदार नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा मु.कदीम दर्ज है। अप्रार्थीगण की माता द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया है। वादग्रस्त भूमि को विक्रय से नाथू पुत्र चौखला के स्थान पर भूरी पत्नी शंकर, जाति–ब्राम्हण के नाम से दर्ज हुई। इसके पश्चात् विक्रय से भूरी पत्नी शंकर के स्थान पर केसरी पत्नी वंशी, जाति–ब्राम्हण के नाम एवं इसके पश्चात् पुनः विक्रय से केसरी पत्नी वंशी के स्थान पर अप्रार्थिया पार्वती पत्नी परसाराम, जाति–ब्राम्हण के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी सं0 1/1 लगा0 1/9 अप्रार्थिया पार्वती पत्नी परसाराम के वारिसान है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर का नाम विलोप्ति करते हुए सीधे ही नाथू पुत्र चौखला के नाम भूमि का अंकन कर दिया गया। माफी मंदिर की स्थिति कानून शास्वत अवयस्क होती है। अवयस्क के हितों का इस प्रकार हस्तान्तरण नही किया जा सकता। अतः अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के विरूद्ध दी गई खातेदारी को निरस्त करते हुए पुनः राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी का नाम अंकित किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण की वहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम प्रागपुरा, तहसील आमेर, जिला–जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 118, 133 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा भूमि का अंकन माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के नाम से दर्ज थी। जिसके वर्तमान मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार नवीन ख0नं0 277, 299 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 है। भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी की मिल्कियत में दर्ज थी। नाथू पुत्र चौखला, जाति–ब्राम्हण वादग्रस्त भूमि के खातेदार, काश्तकार थे और नाथू पुत्र चौखला के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज थी।

जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 के कॉलम सं0 3 में जहां मातमीदार का नाम दर्ज था, उस कॉलम में अब माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के स्थान पर राजस्थान सरकार का नाम अंकित किया गया है। राजस्व रिकार्ड के कॉलम नं0 4 में नाथू वल्द चौखला का नाम पहले भी खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था और उसके पश्चात् भी खातेदार कृषक के रूप में ही नाम दर्ज रखा गया है, इस प्रकार राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार के कॉलम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया ही नही गया है। विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही किया गया है। विवादग्रस्त भूमि का स्वामित्व पूर्व में भी माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के पास था और राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् राजस्थान सरकार को प्राप्त हो गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि कभी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी की खुदकाश्त भूमि नही थी। अतः मंदिर को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए। नाथू वल्द चौखला खातेदार कृषक थे। अतः उनका नाम जागीर पुर्नग्रहण होने पर उन्हे खातेदारी अधिकार

प्राप्त हो गये और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम पुर्वानुसार खातेदार कृषक के रूप में अंकित रहा।

नाथू वल्द चौखला द्वारा विक्रय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 16 दिनांक 10.10.1990 द्वारा भूरी पत्नी श्री शंकर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। भूरी पत्नी शंकर द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 22 दिनांक 10.09.1991 द्वारा वादग्रस्त भूमि केसरी पत्नी वंशी, जाति–ब्राम्हण के नाम दर्ज हुई। केसरी पत्नी वंशी द्वारा विक्रय करने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 32 दिनांक 21.06.1993 द्वारा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थिया पार्वती देवी पत्नी परसराम, जाति–ब्राम्हण के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थिया की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के रूप में अप्रार्थीगण सं0 1/1 लगा0 1/9 वादग्रस्त भूमि का नियमित रूप से कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

राजस्थान राज्य सरकार ने दिनांक 24.05.2007 का एक परिपत्र जारी कर यह निर्देशित किया है कि "जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी। उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमि को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। ऐसे परिपत्र के पश्चात् राज्य सरकार को प्रस्तुत रेफरेन्स को आगे चलाने का कोई अधिकार एवं औचित्य नही है।

सम्वत् 2010–23 की मिसल बन्दोबस्त में ही खातेदार कृषक के रूप में नाथू वल्द चौखला का नाम दर्ज है। यदि उसे अवैध इन्द्राज की संज्ञा दी जावें तो यह इन्द्राज 50 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व अकिंत किये गये है। प्रस्तुत रेफरेन्स अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्तनीय है। अतः तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण के अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि तहसीलदार, आमेर द्वारा ख0नं0 118, 133 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा का अंकन माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के नाम से दर्ज था। जिसके वर्तमान मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार नवीन ख0नं0 277, 299 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 का रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अनुसार सम्वत् 2010–23 की मिसल बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के नाम अंकित थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 में कॉलम नं0 3 में माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी अंकित है एवं कॉलम नं0 4 में नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा मु. कदीम अंकित है।

मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 की कॉलम सं0 3 में माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी का नाम अंकित है तथा कॉलम सं0 4 में खातेदार नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा मु. कदीम दर्ज है। अप्रार्थिया पार्वती पत्नी श्री परसराम क्रेता है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2007/44 दिनांक 24.05.2007 के अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन भूमियों को पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग ने परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 को जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी भूमि जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी के नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय में वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी.868 तारा बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जागीर/मंदिर माफी की भूमियों पर तत्कालीन जागीरदार द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि काश्त कराने पर भूमि राज्य हित में निहीत होगी, परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि पर यदि पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही थी तो तत्कालीन कृषक का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति करने का अधिकार नही होगा और यदि जागीर भूमियों पर किसी कृषक का नाम विलोप्ति कर दिया गया है तो राजस्व रिकार्ड में ऐसी की गई सभी प्रवष्टियां आकृत व शून्य (Null & Void) मानी जायेगी।

हस्तगत प्रकरण में भी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 में वादग्रस्त भूमि के कॉलम नं0 4 में कृषक के कॉलम में नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा मु. कदीम दर्ज था। अप्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की क्रेता है तथा अप्रार्थिया के नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि जागीर अधिग्रहण के समय माफी मंदिर श्री भक्त बिहारी जी के नाम दर्ज है तथा कॉलम नं0 4 कृषक के कॉलम में नाथू वल्द चौखला कौम ब्राम्हण साकिन भीलपुरा मु. कदीम दर्ज रिकार्ड है। हस्तगत प्रकरण में माफी मंदिर खुदकाश्त होने के संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

उक्त विवचेनानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की खुदकाश्त भूमि नही होकर कृषक के नाम थी। अतः हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के तारा बनाम सरकार में पारित न्यायिक निर्णय के अनुशीलन में अप्रार्थिया के वारिसान को विधि अनुरूप, नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि सम्मंत् है।

अतः उक्त उक्त विवचेनानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की खुदकाश्त भूमि नही होकर कृषक के नाम थी। अतः हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी.868 तारा बनाम सरकार एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 के परिपेक्ष्य में इस हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर